



उद्धरण क्रमांक : 174731202405489

उद्धरण खतौनी
(जन सुविधा केन्द्र / लोकवाणी केन्द्र से जारी)

Ref_no : 241830090019074

खता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
02470	बंजर / . / .		115 134मि 139 179 205 274ख 314 318ख 335ख 345 392 433ख 485ख 678ख 938 966ख 1003 1005ग 1012ख 1083ख 1116क 1157 1187	0.0040 0.3760 0.2950 0.0970 0.0610 0.0160 0.2270 0.0160 0.0160 0.0320 0.1010 0.0160 0.0360 0.1090 0.0080 0.0080 0.0240 0.0810 0.0810 0.0240 0.0400 0.0040 0.0360		कार्यालय जिलाधिकारी गोण्डा सं.106/138 भूमि व्य/पनु 2022-23 दिनांक 14-06-2023 उ.प्र राज्य सेतु निगम, कार्या.उप.परि. प्रबन्धक सेतु निर्माण ईकाई गोण्डा द्वारा गोण्डा उतरौला डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैण्ट रेलवे सेक्शन के किमी. 654/5-6 बरूआचक गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेबिल क्रसिंग सं.257 (सोनी गुमटी) पर निर्माणाधीन 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण में आ रही 1.24014 हे. संरक्षित वानिकी भूमि के बदले 1.24014 हे. इस कार्यालय के आदेश सं.273/भूमि व्यवस्था/पुनर्य. /2022-23 दिनांक 06-10-2022 द्वारा ग्राम मुण्डेरवा परगना ग्वारिच में वानिकी प्रयोग के लिए गैर वानिकी भूमि गाटा सं.872स/1.6840 हे. में से 1.24014 हे. भूमि नि:शुल्क हस्तान्तरित की गई थी उक्त भूमि वन क्षेत्र से सटा न होने के कारण पुर्नग्रहण आदेश दि.06-10-2022 निरस्त करते हुए वन विभाग को दी गई भूमि के स्थान पर शासनादेश सं.9(1) राजस्व-1/3-3(1)-74 दिनांक 25-01-1974 तथा शासनादेश सं.68(3)/राजस्व-1/3-2(6)/1979 दि.01-09-1979 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 (उ.प्र. अधिनियम सं.-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड(ग) तथा उ.प्र.राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं.35/740/एक-1/2016-20(5)/2016 दि.03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भा 06 में उल्लिखित ग्राम के गाटा जो ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, में नेहा शर्मा, जिलाधिकारी गोण्डा अपने अधिकार में लेती हैं तथा कालम 7 में निहित भूमि शासनादेश सं.32/744 /एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 में निहित प्राविधान के तहत ग्राम उज्जैनीकला पर तह. व जिला	

श्रेणी : 5-3-ड/ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

1219	0.1250
1250	0.0650
1373	0.0570
1401	0.0120
1494घ	0.1860
1520ख	0.0200
1529ख	0.0400
1530	0.0200
1605	0.1620
1707	0.1300
1791	0.1380
1836ख	0.3120
1888ख	0.2020
1914क	0.0650
1917	0.0160
1978	0.1210
2093ग	0.0770
2218	0.1010
2220	0.0120
2222	0.0200
2226क	0.0770
2321	0.0650
2347	0.0810
2664	0.0160
2669	0.0120
2915	0.1340
3103	0.0200
3209ख	0.0120
3367	0.0690
3453	0.0570
3499	0.0240
3551	0.0360
3595ख	0.0120
3661	0.0400
3675	0.0610

गोण्डा में वन क्षेत्र से सटे भूमि में वनिकी प्रयोग के लिए 4784ज/1.5740 हे. में से 1.24014 हे. भूमि नि.शुल्क हस्तान्तरित करती हैं. क्रमांक 01 जिला गोण्डा तहसील गोण्डा परगना गोण्डा ग्राम पंचायत उज्जैनीकला गाटा सं.4784ज/1.5740 हे. में से 1.24014 हे. भूमि की श्रेणी 5(3) बंजर विवरण प्रयोजन ग्राम उज्जैनीकला में वनिकी प्रयोग हेतु र.का.19-06-2023

3701	0.0490
3800ख	0.0650
3852ख	0.2750
3863	0.0400
3935	0.0450
3973ख	0.3720
4024ख	0.2550
4068ख	0.0850
4336	0.0040
4449ख	0.0850
4459ख	0.0650
4603ख	1.7490
4608	0.0240
4683क	0.2230
4730	0.0730
4784ज	1.5740
4370घ	0.2020

75	9.4900	0.00	1	0
----	--------	------	---	---

कुल गाटे- सात पाँच कुल क्षेत्रफल- नौ दशमलव चार नौ शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by:VED PRAKASH DUBEY

उपरोक्त उदरण खतौनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सहम अधिकारी:

तहसील: गोण्डा जनपद: गोंडा

दिनांक एवं समय: Mon May 06 09:44:53 IST 2024

यह उदरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

जारीकर्ता सी.एस.सी / लोकवाणी केन्द्र-

नाम: सीएससी गवर्नेंस जन सेवा केन्द्र सोहन्मद शहजाद .

केन्द्र प्रभारी

पता: 17,Gonda (MB) Ward No. 17,गोंडा ,गोण्डा,गोंडा

